सं.15011/20/2017-एमपीआर
भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 09 जुलाई, 2019

कार्यालय ज्ञापन

विषय: मिस्र रॉक फास्फेट के यादृच्छिक नमूना विश्लेषण के दिशा-निर्देशों संबंधी।

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 16.12.2011, 30.12.2011, 16.04.2012,10.10.2012, 05.06.2013, 14.11.2013 तथा 10.09.2014 के मिस्र रॉक फास्फेट के पूर्व-विश्लेषण संबंधी पत्रों का संदर्भ लेने और उर्वरकों की गुणवत्ता जांच हेतु बेहतर तंत्र तैयार किए जाने तक मिस्र रॉक फास्फेट के पूर्व-परीक्षण की वर्तमान प्रणाली को जारी रखने हेतु सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन संप्रेषित करने का निदेश हुआ है। इसके अलावा, मिस्र रॉक फास्फेट की यादृच्छिक सैंपलिग के संबंध में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित का निर्णय लिया गया है।

(क) पीडीआईएल/एफईडीओ केवल आगमन पत्तन पर ही नमूने प्राप्त करेगा।

(ख) कम्पनियों को पीडीआईएल/एफईडीओ को अपने माल की खेप के आने की सूचना 30 दिन पहले देनी होगी। उनके प्रतिनिधि पत्तन पर आगमन के सही समय की सूचना देने के लिए पीडीआईएल/एफईडीओ के साथ सम्पर्क में रहेंगे।

(ग) नमूने को आगमन पत्तन पर 'इन कैमरा' उतारा जाएगा।

(घ) पीडीआईएल/एफईडीओ अपनी जन शक्ति इस तरीके से नियुक्त करेंगे कि पत्तन पर माल की खेप पहुंचने के सात दिनों के भीतर सभी नमूनों को केवल पत्तन पर ही और उतारने की प्रक्रिया के दौरान ही लिया जाए।

(ड.) सात दिनों के बाद माल की खेप को पत्तन से बाहर ले जाया जा सकता है।

(च) पोत से नमूने नहीं लिए जाने के गंभीर मामले में पीडीआईएल/एफईडीओ को उर्वरक विभाग को पोत से नमूने नहीं लिए जाने के विशिष्ट कारण बताने होंगे। ऐसे मामले में सैंपलिंग संयंत्र पर की जाएगी और पीडीआईएल/एफईडीओ को देय विश्लेषण शुल्क का 20% संबंधित इकाइयों द्वारा उसी समय काट लिया जाएगा।

2. इसे माननीय मंत्री (रसायन तथा उर्वरक) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(विनय कुमार पाण्डेय)
निदेशक
फोन नं. 011- 23389839

सेवा में
1. एनबीएस के तहत पंजीकृत सभी एसएसपी इकाइयां।
2. डीजी-एफएआई, नई दिल्ली।
3. सीएमडी/एमडी-पीडीआईएल और एफईडीओ।
4. निदेशक (लेखा)/निदेशक (वित्त)/निदेशक (एफएम)/तकनीकी निदेशक (एनआईसी)।
5. उर्वरक विभाग का वेब पोर्टल।